

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-8035 दिनांक-28.08.2025 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.09.2025 में मद संख्या-15 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

15. भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

सचिव, भवन निर्माण विभाग का कोषांग
नैऋत्य-पूर्व दिशा में 2685
प्राप्ति 2-9-25
प्रेषित

कुमार रवि

कुमार रवि

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

६

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-02/2025/.....8364 पेटना, दिनांक-.....४/७/२५

बिहार सेवा संहिता के नियम 110 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) यह नियमावली सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम 11 में संशोधन-
सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम 11(2)(4) के कंडिका(घ) के बाद निम्नलिखित कंडिका (ड) जोड़ी जाएगी :-

- “(ड) (i) पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत पटना केन्द्रीय पूल के बहुमंजलीय आवासीय परिसर में नियम 11(2)(4)(क) में अंकित अनुमान्य अवधि के बाद पुत्र/पुत्री की शिक्षा अथवा परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा के लिए आवास के इच्छुक अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों द्वारा पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए सचिव, भवन निर्माण विभाग को विचार हेतु स्थानान्तरण के तुरन्त बाद या आवासित रहने के लिए अनुमान्य एक माह के भीतर आवेदन समर्पित किया जायेगा।
- (ii) पटना से बाहर बिहार के अन्य जिलों में स्थानांतरित अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को आवास उपलब्धता के आधार पर उनकी पात्रता के अनुसार बहुमंजलीय आवासीय परिसर यथा शास्त्रीनगर वरीय पदाधिकारी आवास/गर्दनीबाग आवासीय परिसर, पटना में स्थित आवास आवंटित किया जायेगा।
- (iii) प्रारंभ में उपलब्धता के आधार पर आवास मात्र एक वर्ष के लिए आवंटित किया जायेगा, यदि किसी पदाधिकारी को एक वर्ष के बाद भी कंडिका ड(i) में वर्णित कारणों के निमित्त आवास की आवश्यकता हो तो कारणों का उल्लेख करते हुए विभाग को ससमय पुनः आवेदन करना होगा, जिसका अवधि विस्तार कारणों की समीक्षोपरान्त विभाग के द्वारा किया जायेगा। भवन आवंटन आवश्यकता आधारित ही होगा। किसी भी परिस्थिति में स्वतः आवंटन का अधिकार नहीं रहेगा।

- (iv) बहुमंजलीय आवासीय परिसर में आवंटित आवास के विरुद्ध आवासी को पटना में अनुमान्य मासिक आवास किराया भत्ता (HRA के समतुल्य) तथा मानक किराया एवं मेंटेनेन्स चार्ज की राशि प्रति माह 15 तारीख से पूर्व कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन/अन्य के माध्यम से भुगतान करना होगा।
- (v) संबंधित पदाधिकारी के अपने पदस्थापन जिला में सरकारी आवास का उपयोग करने अथवा नहीं करने का प्रभाव उक्त आवास आवंटन पर नहीं पड़ेगा।
- (vi) लगातार तीन माह तक मासिक किराया भुगतान नहीं करने पर आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं बकाया किराया की राशि/दण्ड किराया जमा करने के उपरांत ही भविष्य में आवास आवंटित किया जायेगा तथा मांग रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
- (vii) यह व्यवस्था केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति/अन्य राज्य सेवा हेतु सरकार से विरमित पदाधिकारियों तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा।
- (viii) यदि कोई पदाधिकारी एकल आवास/बंगला (यथा 96 सेट, ऑफिसर्स आवास, हार्डिंग रोड/स्ट्रैण्ड रोड आदि के आवास) में आवासित हैं तो उन्हें पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत पूर्व से लागू नियम के अनुसार आवंटित आवास रिक्त करना अनिवार्य होगा। उनके आवेदन पर उन्हें बहुमंजलीय आवासों में ही आवास आवंटित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-02/2025- 8364 (अ) पटना, दिनांक- 8/9/25
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना एवं ई-गोपट कौषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इसकी सी0डी0 सहित दो प्रतियों में असाधारण राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

(दावा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-02/2025- 8364 (अ) पटना, दिनांक- 8/9/25
प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-15, दिनांक-02.09.2025 के प्रसंग में/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल/पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर/पटना भवन प्रमंडल/केन्द्रीय भवन प्रमंडल/पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दावा)

सरकार के सचिव।